परिपत्र : सं. 457 [एफ. संख्या 225/86/85-आईटीए-II], दिनांक 30-5-1986

बोर्ड के परिपत्र सं. 430 [एफ. संख्या 225/101/85-आईटी(ए-II)], दिनांक 6-9-1985 का संदर्भ लें, जिसके साथ वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या 1(3)/पीडी/85, दिनांक 25-4-1985 को अग्रेषित किया गया है, जिसमें अनिवार्य जमा योजना के संबंध में कुछ बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। उक्त बोर्ड के परिपत्र द्वारा आयकर आयुक्तों को आम जनता के मार्गदर्शन के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के परिपत्र को सूचना पट पर प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था।

2.आर्थिक मामलों के विभाग के उक्त परिपत्र में उत्तर दिए गए प्रश्नों में से एक यह था कि क्या कोई बैंक 31-3-1985 के बाद अनिवार्य जमा का भुगतान स्वीकार कर सकता है। परिपत्र में दिया गया जवाब नीचे दिया गया है:

> "हां। *बैंक 31 मार्च, 1985 के बाद भी अनिवार्य जमा का भुगतान स्वीकार कर सकता है। हालांकि, यह प्रश्न कि क्या जमाकर्ता धारा 10 के अंतर्गत दंड का पात्र है, इसका निर्णय आयकर अधिकारी द्वारा किया जाएगा* ।"

3.इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि, यद्यपि बोर्ड द्वारा जारी माफी परिपत्रों के प्रत्युत्तर में आय की घोषणा कर निर्धारण वर्ष 1985-86 या उससे पूर्व के कर निर्धारण वर्षों के लिए की गई है और करदाता ऐसी आय के संबंध में अनिवार्य जमा का भुगतान करना चाहता है, परन्तु बैंकों के कुछ जमा कार्यालय ऐसे भुगतानों को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। अब चूंकि बोर्ड के परिपत्र सं. 453 [एफ. संख्या 225/86/85-आईटी (ए-II)], दिनांक 4-4-1986 द्वारा उन मामलों में माफ़ी योजना को 30-9-1986 तक बढ़ा दिया गया है जहां करदाता कर निर्धारण वर्ष 1986-87 या उससे पहले के कर निर्धारण वर्षों से संबंधित अपनी आय का खुलासा करना चाहता है, इस संबंध में करदाताओं के मन में किसी भी प्रकार की शंका को दूर किया जाना चाहिए। अतःपुनःयह आग्रह किया जाता है कि आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी उक्त परिपत्र, जिसे बोर्ड के परिपत्र सं. 430, दिनांक 6-9-1985 के साथ भेजा गया है, का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

■■